



क्रमांक: 78 / अका./ का.प./ 2015

रायपुर, दिनांक 26/12/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सोलहवीं* बैठक मंगलवार, दिनांक 15.12.2015 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
3. प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश मारोठिया	—	सदस्य
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
5. डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	—	सदस्य
7. डॉ. एस.व्ही.के. प्रसाद	—	सदस्य
8. श्री चन्द्रकुमार चन्द्राकर	—	सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	—	सदस्य
11. प्रोफेसर आर.पी. दीक्षित	—	सदस्य
12. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	—	सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

कार्यपरिषद् की ओर से नवनियुक्त सदस्य डॉ.(श्रीमती) रश्मि मिंज, श्री नरेशचन्द्र गुप्ता, प्रोफेसर आर.पी. दीक्षित एवं डॉ. लक्ष्मीकांत भारती का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.10.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.10.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

“कर्मचारी संघ के पत्र क्रमांक 562/क.स./2015 दिनांक 20.10.2015 के द्वारा कम्प्युटर कौशल परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 80 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत किये जाने संबंधी पत्र को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 में पुनः विचारार्थ रखा गया। इस संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व में लिए गए निर्णय यथावत् रखा जाय।”

03. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की संविदा अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की संविदा अवधि दिनांक 25.10.2015 से 24.04.2016 तक छः माह वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। संबंधित विषय की टीप में त्रुटिवश ड्राफ्टमेन पद के विरुद्ध उल्लेख किया गया है, इसे ट्रेसर पद के विरुद्ध सुधार कर पढ़ा जावे।
04. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता भुगतान की अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण।
निर्णय : विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप दिनांक 01.07.2015 से (माह जुलाई, 2015 का वेतन जो माह अगस्त 2015 में देय है) महंगाई भत्ता 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
05. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2015 से 113 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 119 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2015 से 113 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता राहत की दर छत्तीसगढ़ शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
06. सेमेस्टर परीक्षा 2015-16 के लिये कुल 44 केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 10,35,000/- प्रदान की अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा 2015-16 के लिये कुल 44 केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 10,35,000/- (दस लाख पैंतीस हजार रुपये) प्रदान किए जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
07. पूरक परीक्षा 2015 के लिये 43 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 16,70,000/- (सोलह लाख सत्तर हजार रुपये) प्रदान की अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : पूरक परीक्षा 2015 के लिए 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रुपए 16,70,000/- (सोलह लाख सत्तर हजार रुपये) प्रदान किए जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

08. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2016 एवं सेमे. परीक्षा 2015-16 के केन्द्र सूची को अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2016 एवं सेमेस्टर परीक्षा 2015-16 के लिए प्रस्तावित केन्द्रों की सूची का अनुमोदन किया गया।

09. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के नवनिर्मित सेमिनार हाल का नामकरण, पूर्व ओलंपियन मेजर ध्यानचंद किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के नवनिर्मित सेमिनार हॉल का नामकरण, पूर्व ओलंपियन मेजर ध्यानचंद सेमिनार हॉल किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

10. प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : निम्नलिखित महाविद्यालय में प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :

स.क.	महाविद्यालय का नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
1	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर	डॉ. संजीत कुमार साहू
2	अभ्युदय कालेज, चंदखुरी, रायपुर	डॉ. देवेश शर्मा
3	आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला-गरियाबंद	डॉ. (श्रीमती) किरण श्रीवास्तव

11. शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के स्थायी सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : (i) ऐसे शासकीय महाविद्यालय जो स्थायी संबद्धता के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति को छोड़कर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा स्थायी संबद्धता नहीं होने के कारण केन्द्रीय एजेंसियों से अनुदान हेतु पात्रता से वंचित हो रहे हैं, उनकी सूची सहित उच्च शिक्षा विभाग को स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु पत्र प्रेषित किया जावे।

(ii) स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई के बीसीए, बीएससी, एवं बीबीए पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया—

- (1) स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 के विषय क्रमांक 3(7) पर निरीक्षण समिति के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर सभी सदस्यों ने प्रशंसा की एवं भविष्य में निरीक्षण के पूर्व समिति के सदस्यों को इसी प्रकार विस्तृत प्रतिवेदन के लिए जानकारी दी जावे।
- (2) विषय क्रमांक 6 के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित शोध केन्द्रों की स्थापना के बाद निरंतरता बनाये रखने हेतु ब्रेन स्टार्मिंग पर कार्यशाला आयोजित किया जाय, जिसमें विषय से संबंधित विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जावे।

02. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
03. विश्वविद्यालय के 51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 का अनुमोदन करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय के 51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 का अनुमोदन किया गया।
04. फर्नीचर सामग्री क्रय करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : निविदा में भाग लेने वाले निर्माता कंपनियों से गुणवत्ता के साथ अधिकतम छूट के आधार पर आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर क्रय, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार किया जावे।
05. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध 10 महाविद्यालयों में EDUSAT व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध 10 महाविद्यालयों में EDUSAT व्यवस्था स्थापित करने किए जाने के संबंध में गठित तकनीकी समिति, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार मेसर्स, **Hughes Communications India Ltd. Gurgaon, India (HCIL Comtel Limited)** के द्वारा प्रस्तुत राशि रूपए 42,30,747/- (रुपए बयालीस लाख तीस हजार सात सौ सैतालीस मात्र) का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
(ii) इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित कालेजों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर विचार-विमर्श कर ली जावे। आवश्यकतानुसार महाविद्यालयों की सहमति से महाविद्यालय के द्वारा खर्च करने की स्थिति में अन्य महाविद्यालयों को भी इस कार्य के लिए संलग्न किया जावे।
06. UGC द्वारा अनुमोदित B.Voc. in Renewable Energy Technology & Managment की प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : UGC द्वारा अनुमोदित **B.Voc. in Renewable Energy Technology & Managment** की प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा पर निम्नानुसार फर्मो मेसर्स, **Ecosense Sustainable Solutions Pvt.Ltd. New Delhi** (a) **Wind Energy Training Set up Rs.5,97,500=00**, (b) **Solar Concentrator System Rs 4,92,500=00** कुल मूल्य रु.10,90,000/-, **M/s, KWatt Solutions SINE IIT BOMBAY Powai, Mumbai** (a) **PV Integration set up Rs. 2,55,561=00** & (b) **In house Solar Simulator Set up (To measure I-V Characteristics of Solar Modules Rs.3,16,149=00** कुल मूल्य रु. 9,44,545/-), एवं मेसर्स, आदर्श इंटरप्राइसेस, जबलपुर ((a)**Advanced Photovoltaic Set up Rs. 4,22,625=00** (b)**Advanced Fuel Cell Rs.42,210=00** (c)**Thermal energy Storage SystemRs. 5,43,375=00** (d)**Setup for DC-DC & DC-AC Converter (To understand the different voltage rating applications) Rs.1,03,543=00** (e) **Set up for measurement of PV System Losses to study the various losses at different stages of the PV system Rs.69,008=00** कुल मूल्य रु. 11,80,761=00) प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने हेतु अनुमोदन के साथ भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

07. विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में Wi-Fi Access Point लगाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न भवनों में **36 Wi-Fi Access Point, 20 L2 Switch with SFP module** एवं अन्य आवश्यक सामग्री के लिए तकनीकी समिति, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म मेसर्स, **M/s, Benzfab Technologies Pvt.Ltd. Bhubaneswar Odisha** के द्वारा प्रस्तुत राशि रुपए **26,22,078.71/-** (रुपए छब्बीस लाख बाईस हजार अठहत्तर एवं इकहत्तर पैसे मात्र) का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

08. विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में अतिरिक्त I/O Box (Additional LAN) लगाने के संबंध में स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में अतिरिक्त **I/O Box (Additional LAN)** लगाने के संबंध में तकनीकी समिति, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार **M/s, Benzfab Technologies Pvt.Ltd. Bhubaneswar Odisha** के द्वारा कुल खर्च राशि रुपए **19,87,064.63/-** (रुपए उन्नीस लाख सत्तासी हजार चौसठ एवं तिरासी पैसे मात्र) का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।


09. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णय का अनुमोदन किया गया एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपए 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) अग्रिम के रूप में प्रदान किया जावे, जिसका समायोजन दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को स्नातक प्रथमवर्ष के परीक्षार्थियों से प्राप्त शुल्क से देय निर्धारित राशि से किया जावे।
10. आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कबीरधाम में प्रवेश संबंधी विसंगतियों के कारण प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित किये जाने की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय : आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा, जिला-कबीरधाम में प्रवेश संबंधी विसंगतियों के कारण प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

- (i) दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग स्थापित हो जाने के पश्चात् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र के साथ-साथ महाविद्यालयों की संख्या कम होंगे तथा कम होने के साथ-साथ छात्र-छात्राओं की संख्या कम होंगे, जिसके कारण विश्वविद्यालय में राजस्व प्राप्ति में कमी होगी। जिसका समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया है। आगामी वर्ष में राजस्व की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए **Internal Revenue Generation (IRG)** के संबंध में विचार कर उचित सुझाव व अभिमत देने के लिए समिति गठन किया जावे। समिति गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जावे।
- (ii) कुलपति जी ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को तीसरा नैक (NAAC) रिक्रेडिटेशन जनवरी/फरवरी में प्रस्तावित है। जिसका LOI निर्धारित तिथि में प्रस्तुत करने के उपरांत स्वीकार किया जा चुका है तथा इसकी दूसरी कड़ी के रूप में SSR भी दिनांक 09.12.2015 को ऑनलाइन संबंधित संस्था को भेजी जा चुकी है तथा हार्डकापी भेजने की तैयारी भी चल रही है। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में नैक द्वारा दिए गए सुझाव एवं कमियों को ध्यान रखते हुए समस्त तैयारी विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है।

डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय खान एवं डॉ. भगवंत सिंह का कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है, अतः कुलपति एवं सभी सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् में उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 79 / अका./ का.प./ 2015

रायपुर, दिनांक : 26 / 12 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)
